महत्वपूर्ण निर्देश - 9

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर– 492002

क्रमांक 1102 / उर्व.निर्दे. / कृषि / 2009 / 14–2 रायपुर दिनांक 29/03 / 2010

प्रति

1. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छ.ग. रायपुर।
2. संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर।
3. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर
4. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या. रायपुर
5. संभागीय आयुक्त सर्व.................................
6. कलेक्टर सर्व...
7. संभागीय संयुक्त संचालक कृषि सर्व...................................
8. उप संचालक कृषि सर्व ....
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी केन्द्रीय बैंक सर्व.....................

विषयः– आगामी खरीफ सत्र 2010 में समितियों द्वारा उर्वरको के अग्रिम उठाव के संबंध में।

संदर्भः– विभाग का समसंख्यक पत्र कमांक 829–830 दिनांक 09.03.2010.

–00–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुकम में कृषकों को रसायनिक उर्वरक समय पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से रसायनिक उर्वरकों का अग्रिम उठाव की व्यवस्था एवं प्रकिया निर्धारण में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैः–

1. 1 अप्रैल, 2010 से 15 जून, 2010 तक समितियों द्वारा उठाए गए समस्त प्रकार के उर्वरक अग्रिम उठाव योजना में सम्मिलित होंगे।
2. 1 अप्रैल, 2010 से 31 मई, 2010 तक समितियों द्वारा ब्याज की राशि अधिभारित नहीं की जाएगी।
3. समितियों द्वारा 1 अप्रैल, 2010 से मई, 2010 तक उठाए गए उर्वरक की मात्रा पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा ब्याज की राशि अधिभारित नहीं की जाएगी।
4. समितियों द्वारा माह अप्रैल, 2010 में उठाए गए उर्वरक की मात्रा का रिलीज आर्डरवार दिनांक 1 जून, 2010 के दिनांक के भुगतान योग्य अग्रिम पोस्ट डेटेड चेक तथा मई, 2010 में उठाए गए मात्रा का 15 जून, 2010 के दिनांक का भुगतान योग्य अग्रिम पोस्ट डेटेड चेक रिलीज आर्डरवार विपणन संघ को प्रदान किया जावेगा।

5. पोस्ट डेटेड चेक ड्राफ्ट के एवज में जारी किया जावें साथ ही पूर्व स्थापित व्यवस्था अनुसार रिलीज आर्डर इत्यादि जारी किया जावें।

6. विपणन संघ द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के पोस्ट डेटेड चेक बैंक को प्रस्तुत करने की तिथि से 5 दिवस में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से राशि विपणन संघ के खाते में केडिट की जाए। अर्थात् जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा 1 जून की तिथि के चेक की धनराशि को 5 जून तक एवं 15 जून की तिथि के चेक की धनराशि को 20 जून तक विपणन संघ के खाते में केडिट की जाएगी।

7. अपेक्स बैंक का दायित्व होगा कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा दिनांक 1 जून एवं 15 जून के पोस्ट डेटेड चेक को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खाते से विपणन संघ के खाद संग्रहण खाते में कमशः 5 जून एवं 20 जून को हस्तांतरित कराकर केडिट की जाए।

8. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा अग्रिम उठाव की राशि 5 जून एवं 20 जून को विपणन संघ के खाद संग्रहण खाते में केडिट कर अपेक्स बैंक को स्थानांतरित नही की जाती है तो तदोपरांत निलंबित अवधि हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज की राशि देय होगी। इसी प्रकार अग्रिम उठाव की राशि अपेक्स बैंक द्वारा कमवार दिनांक 7 जून एवं 22 जून को विपणन संघ के खाद संग्रहण खाते में केडिट नही की जाती है तो तदोपरांत विलंबित अवधि का ब्याज अपेक्स बैंक द्वारा विपणन संघ को देय होगा।

9. वर्ष 2009—10 की 31 मार्च, 2010 की स्थिति में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से प्राप्त योग्य उर्वरक की राशि दिनांक 31 मार्च, 2010 को सम्पूर्ण रूप से विपणन संघ के खाद संग्रहण खाते में, अपेक्स बैंक के माध्यम से केडिट होना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त राशि पर प्रचलित ब्याज बैंकों द्वारा देय होगा।

आपसे अपेक्षा है कि कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्था की कार्यवाही को प्रभावी रूप से कियान्वित करें व आपके अधीनस्थ अमले को इस हेतु पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करें।

(डी.एस.मिश्र)
कृषि उत्पादन आयुक्त
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

पृ.कमांक/1103 उर्व.निर्दे./कृषि/2009/14–2 रायपुर दिनांक 29/03/2010

प्रतिलिपिः–

3. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग।
3. सचिव, छ.ग. शासन, सहकारिता विभाग।
3. संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक (समस्त), सहकारी संस्थाएं....................

29/3/10

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग